संख्या–एस0ई0–624/दस–12–बीमा–4/12

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 22 मई, 2012

विषयः– उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–सामू0बीमा/लेखा–संक0–48/सी0–24827/2012, दिनांक 04 मई, 2012 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–7(1)/EV /2012, दिनांक 24 अप्रैल, 2012 द्वारा "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना" हेतु "बचत निधि" पर दिनांक 01–12–2011 से ब्याज की दर 8.6 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) कर दिये जाने के फलस्वरूप "उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा व बचत योजना" के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर को भारत सरकार के अनुरूप संशोधित किये जाने का अनुरोध किया है।

2– उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–एस0ई0–1904/दस–2002–ई0एम0–16/2001, दिनांक 21–8–2002 तथा शासनादेश संख्या–एस0ई0–188/दस–2004–ई0एम0–16/2001, दिनांक 05 फरवरी, 2004 के कम में "उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत "बचत निधि" में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर भारत सरकार द्वारा संशोधित दर के अनुरूप दिनांक 01–12–2011 से 8.6 प्रतिशत वार्षिक (संयोजित त्रैमासिक) किया जाता हैं।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–एस0ई0–188/दस–2004–ई0एम0–16–2001, दिनांक 05 फरवरी, 2004 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4– कृपया तद्नुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

<u>संख्या–एस0ई0–624(1)/दस–12, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ।
3– कन्ट्रोलर आफ इन्श्योरेन्स, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र मित्रा)
उप सचिव।